FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, बाड़मेर **मुकाम** बाड़मेर

अपीलार्थी–श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मेवा राम **बनाम** उत्तरदाता– अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम **नं.** **सन्** 62/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.2021	अपीलार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मेवा राम निवासी ग्राम ढुंढा, कवास, तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 25.07.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है। अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर हों। रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति वास्ते जवाब तलब हों। पत्रावली वास्ते जवाब एवं सुनवाई आईंदा दिनांक 23.08.2021 को पेश हों। Lok जिला कलक्टर बाड़मेर	
23/8/21	अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. का जवाब एवं अपीलार्थी का विड्रा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ जो शामिल मिसल हो। अपीलार्थी की अपील जरिये विड्रा खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हों एवं दाखिल दफ्तर हों। Lok जिला कलक्टर बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested